न्यायालय अतिरिक्त कमिश्नर, सागर संभाग, सागर [म0प्र0]

-1-

R 333-II/01

निगरानी क्रमांक 265 अ-19/1986 -87

1- जयराम तनय कमल काछी
2- किशनलाल तनय बिन्दे दोनों निवासी
ग्राम मेदनी तह0 पृथ्वीपुर जिला टीकमगढ़ --- आवेदकगण

विरुद्ध

1- कलेक्टर टीकमगढ़,
2- मध्य प्रदेश शासन,
3- श्यामलाल तनय कमतू
4- इन्ने तनय दरश सभी निवासी मुढैनी
तह0 पृथ्वीपुर जिला टीकमगढ़
5- इमाम खान तनय सुबराती निवासी झांसी
झांसी [उ0प्र0] --- अनावेदकगण

COURT FEE भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

CF. Rs5/-2

-:: आदेश ::-

[आज दिनांक 28 मार्च, 1989 को पारित]

यह निगरानी कलेक्टर टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक 37 /स्व0नि0/ 85-86 में पारित आदेश दिनांक 10-1-86 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है । मैंने आवेदक गण के विद्वान अभिभाषक कु0 प्रतिभा जैन को सुना तथा अधीनस्थ न्यायालय के रिकार्ड का अवलोकन किया।

2- प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि नायब तहसीलदार ... ने एक प्रतिवेदन कलेक्टर टीकमगढ़ को इस आशय का प्रस्तुत किया ... मुढैनी की भूमि खसरा क्रमांक 870/1 रकबा 14.47 ए0 हेक्टेयर इन्ने, श्यामलाल तनय कमतू चमार को आवंटित किया गया था, किन्तु आवंटी ने यह भूमि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र ~~xxxxxxxxxxxxxxx~~ द्वारा आवेदक को विक्रय कर दी है तथा क्रेता के नाम दिनांक 6.3.82 को नामान्तरण भी हो गया है अत: स्वमेव निगरानी का प्रकरण दर्ज किया जाये । इस प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर टीकमगढ़ ने स्वमेव निगरानी का प्रकरण दर्ज किया और पक्षकारों की सुनवाई करके अपने आदेश दिनांक 10.1.86 द्वारा उक्त नामान्तरण आदेश दिनांक 6.3.82 को निरस्त कर दिया । कलेक्टर के इस आदेश दिनांक 10.1.86 के विरुद्ध निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3- निगरानी का आधार यह बताया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय ...

भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES
भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

Cf-15/-2

न्यायालय माननीय राजस्व मंडल ग्वालियर म0प्र0

- -

रा0नि0 क्र0 - -- - - - -/ 2000

R-333-III/2001

सल्ले ~~क्रिटेल~~ ४१४ सल्ले तनय दरऊ अहिरवार आयु 60 साल निवासी ग्रा

सल्ले (मृत) वारिश।
1 मन्नीबाई बेवा सल्ले
2. कूरेलाल पुत्र स्व. सल्ले
3 चैनू पुत्र स्व. सल्ले
4 सुनीता 5 मुलिया
6 हरकू 7 नन्नी
8 रमादेवी पुत्रियां स्व. सल्ले

माननीय न्यायालय के आदेश पत्रिका - आवेदकगण।
दिनांक 3-6-13 के पालन मे संशोधन किया।

आवेदकगण की ओर से निगरानी निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

४1४ यह कि, संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :-

अ - यह कि, ग्राम मुदैनी तहसील पृथ्वीपुर जिला टीकमगढ़ म0प्र0 स्थित कृषि आराजी न0 870/1 रकबा 14.47 एकड़ लगानी 23.57 का वंटन राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड चार क्र0-3 में दिये गये निर्देशानुसार समाज के कमजोर वर्ग तथा भूमिहीन होने के नाते आवेदकगण सुन्ने तथा श्याम लाल को स्वंय कृषि करने की शर्त पर कर स्थाई पट्टा दिया गया था और तभी से आवेदकगण स्वंय कृषि करते आ है किन्तु अप्रार्थीगण के कुचक्र के कारण कृषि करने में व्यवधान उत्पन्न कर दी गई है।

रघुनाथ
28/2/2001

R 333-[illegible]/2001 (दीवानी)

18-7-16.	आवेदक के पक्ष पूर्व पेशी से आज दिनांक तक लगातार कोई भी उपस्थित नहीं है। प्रकरण आदेशों का पालन न करने की स्थिति में प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पक्षकार सूचित हों। अभिलेख दाखिल किया जावे। [signature] न्यायाधीश	18-7-16 WB